(25)

R.3388/III/14

राजगढ़

भगवानसिह पुत्र श्री हिम्मतसिंह जाति–चौरसिया आयु–लगभग 42 वर्ष निवासी–बूचाखेडी तहसील–पचोर जिला–राजगढ(ब्यावरा) म0प्र0 संभाग भोपाल म0प्र0

आवेदक

वि0

1–रमेश चन्द्र पुत्र श्री छीता जी राठौर निवासी–बूचाखेडी तहसील–पचोर जिला–राजगढ(ब्यावरा) म0प्र0 संभाग भोपाल म0प्र0

2–अनुविभागीय अधिकारी सारंगपुर जिला–राजगढ(ब्यावरा) म0प्र0

3–तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी सारंगपुर जिला–राजगढ(ब्यावरा) म0प्र0

4–कलेक्टर महोदय जिला–राजगढ(ब्यावरा) म0प्र0

अनावेदकगण

अभिषेक तिवारी अधि. द्वारा आज दि. 7.10.14 को प्रस्तुत

7.10.14

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

7/10/14

(20)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 3388–तीन/2014 जिला राजगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–11–2014	आवेदक अधिवक्ता श्री अभिषेक तिवारी उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता पर सुना । 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अधीनस्थ आयुक्त न्यायालय के प्रकरण कमांक 235/ए/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 8–5–13 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया, जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। 3– आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा प्रचलित अपील में संहिता के प्रावधान लागू नहीं होने व अपील क्षेत्राधिकारविहीन होने के कारण निरस्त की गई है, जो उचित है। अतः प्रथमदृष्टया निगरानी में हस्तक्षेप का कोई आधारहीन होने से यह निगरानी इसी स्तर पर अग्राह्य की जाती है । प्रशासकीय सदस्य	